तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
21/03/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण की ओर से ब्रिफ होल्डर अधिवक्ता श्री शाकर खान एच.उपस्थित। विप्रार्थी सं. 05 व 06 तथा विप्रार्थी सं. 1, 2, 7 से 10 के अधिवक्ता उपस्थित हुए। विप्रार्थी सं. 1, 2, 7 से 10 के अधिवक्ता की ओर से मूल आवेदन का जवाब मय आवेदन 212 (काउन्टर के रूप में) में पेश किया गया, शामिल पत्रावली किया गया। उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

विप्रार्थी सं. 5 व 6 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त भूमि के संबंध में दिनांक 05.08.2022 को एक रेकर्डेड खातेदारों के खिलाफ एकतरफा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की है जिसे निरस्त करवाने के विप्रार्थी सं. 5 व 6 वैध अधिकारी है।

प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी सं. 1 से 4 व 7 से 10 के कर्ता–खान–दान हुकमा तथा विप्रार्थी सं. 5 व 6 के कर्ता खानदान मगा वक्त सैटलमेन्ट 1952 में जागीर पुनग्रहण के समय से अलग थे और 15.10.55 में रा.का.अधिनियम लागू हुआ । उससे पूर्व हुकमा व मगा फौत होने के बाद सेटलमेन्ट में मौजा तारातरा तहसील चौहटन के खेत खसरा सं. 1095, 1096 कुल रकबा 14.9653 अर्थात 92.09 बीघा में प्रार्थीगण व विप्रार्थी सं. 1 से 4 व 7 से 10 के मुखिया रूपा, चेतन व नगा पि.हुकमा का 1/2 हिस्सा का पर्चा लगान में अलग से हिस्सा दर्ज हुआ तथा विप्रार्थी सं. 5 व 6 मूला व निम्बा पुत्र मगा का उक्त खेतों में 1/2 हिस्सा का पर्चा लगान जारी होने से विप्रार्थी सं. 5 व 6 का उक्त खेतों में खसरा सं. 1095, 1096 मौजा तारातरा में 07.9826 हैक्टयर अर्थात 46.04 बीघा के वक्त सेटलमेन्ट से आज तक रेकर्डेड खातेदार होने से प्रार्थीगण प्रत्येक 1/60 हिस्सा के हक हकूक प्राप्त व घोषणा के अधिकारी नहीं है। प्रार्थीगण 1/90 हिस्सा पर हक हकूक होने सम्पूर्ण भूमि पर अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

विप्रार्थी सं. 5 व 6 के अधिवक्ता ने बहस में आगे कथन किया कि वादग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी की भूमि है और जब तक विधि से उसका विभाजन नहीं हो जाता तब तक प्रत्येक कण कण पर प्रत्येक खातेदार का समान अधिकार होता है । विप्रार्थी सं. 5 व 6 एक सामान्य किसान है [illegible] इसी वादग्रस्त आराजी से प्राप्त होती है। न्यायालय [illegible] भूमि पर स्थगन आदेश जारी करने से उनके [illegible] प्रकार के [illegible] बाधित हो रहे है। स्थगन आदेश की वजह से [illegible] बैंक से ल[illegible] ले पा रहे है तथा न ही अपने कब्जाशुदा [illegible] हिस्से की भूमि नरेगा के तहत टांका निर्माण व अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ ले

लगातार...

Signature Not Verified
Digitally signed by Suraj Bhan Vishnoi
Date: 2024.05.09 17:42:44 IST
Reason: SelfAttested

पा रहे है, इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रमाणित नहीं है और न ही प्रार्थीगण को कोई अपूर्णिय क्षति हो रही है। अतः निवेदन है कि विप्रार्थी सं. 5 व 6 के विरूद्ध उक्त अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा निरस्त की जावे तथा विप्रार्थी सं. 5 व 6 का काउन्टर (प्रतिवादी) स्वीकार कर मौजा तारातरा के खसरा सं. 1095, 1096 मे 1/2 हिस्सा तथा मौजा हुडासर के खसरा सं. 1235 में 1/4 के वक्त सेटलमेन्ट से आज तक अलग से कब्जा काश्त व हिस्सा खसी रेकर्ड में अंकित होने से प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी सं. 1 से 4 तथा 7 से 10 के खिलाफ उक्त खेतों में कब्जे काश्त में मूल वाद का निस्तारण नहीं होता है तब तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

विप्रार्थी सं. 5 व 6 के अधिवक्ता ने अपनी बहस के समर्थन में निम्न न्याय दृष्टान्त पेश किये :-

1- RRD 2020 Page No- 246
2- RRD 2020 Page No-88
3- DJN(REV)2022 Page No-854
4- RRT 2018 (1) Page No-759

विप्रार्थी सं. 1,2,7 से 10 के वकील ने अपनी बहस में कथन किया प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी का खेत मौजा तारातरा के खसरा सं. 1095, 1096 तथा मौजा हुडासर के खसरा सं. 1235 आया हुआ है। वक्त सेटलमेन्ट के समय ग्राम तारातरा के खसरा सं. 1235 का पर्चा लगान रूपा, चेतन, नगा पि. हुकमा 3/4 हिस्सा तथा मूला, निम्बा पि.मगा का 1/4 हिस्सा जारी हुआ जो सही हुआ था। मौजा तारातरा के खसरा सं. 1095 व 1096 का पर्चा लगान रूपा, चेतन, नगा पि.हुकमा का 1/2 हिस्सा तथा मूला, निम्बा पि.मगा का 1/2 हिस्सा जारी हुआ जो गलत जारी हुआ, इसमें रूपा, चेतन, नगा पि.हुकमा प्रत्येक का 1/4-1/4 हिस्सा था तथा मूला , निम्बा पि.मगा का 1/4 हिस्सा दर्ज होना था। लेकिन भू. प्रबन्धक विभाग ने हिस्सो का अंकन पर्चा लगान में गलत जारी किया गया। जिसका मूला, निम्बा पि.मगा ने भू.प्रबन्धक विभाग की हिस्सों की त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियों का अनुचित फायदा उठाते हुए प्रार्थीगण (मूल आवेदन में विप्रार्थी सं. 1 से 4 व 7 से 10) को बेदखल करने की धमकिया देना प्रारम्भ कर दिया। यदि ऐसा करने में सफल हो गये तो प्रार्थीगण(मूल आवेदन में विप्रार्थी सं. 1,2 व 7 से

लगातार...

Signature Not Verified
Digitally signed by Suraj Bhan Vishnoi
Date: 2024.05.09 17:42:44 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

10) को अपार क्षति होगी और मूल वाद में उनके काउन्टर क्लेम का मकसद ही समाप्त हो जायेगा।

इसके अतिरिक्त उक्त वादग्रस्त भूमि के संबंध में एक वाद 64/92 नथाराम बनाम मूलाराम वगैरा में मौजा तारातरा के खसरा सं 1095, 1096 में वादी को 1/4 तथा प्रतिवादी सं 1, 2 को 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी सं 3,4 को 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं 5 को 1/4 हिस्सा तथा मौजा हुडासर के खसरा सं 1235 में पक्षकारों के अंकित हिस्से अनुसार निर्णय दिनांक 28.03.1998 को पारित किया गया। जिसका अमल दरामद नहीं हो सका। इसलिए निवेदन है कि उक्त वादग्रस्त भूमि के संबंध में विप्रार्थी सं 1,2,7 से 10 का काउन्टर स्वीकार कर विप्रार्थी सं 3 व 4 (मूल आवेदन में 05 व 06) को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि उक्त वादग्रस्त भूमि से प्रार्थीगण (मूल आवेदन में विप्रार्थी सं 1,2 व 7 से 10) को जबरन बेदखल न करे न ही उक्त भूमि का बेचान या अन्य किसी प्रकार का कोई हस्तान्तरण करे मौके एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

बहस में विप्रार्थी सं. 5 व 6 के वकील ने आगे कथन किया कि उक्त वादग्रस्त भूमि के संबंध में पारित डिक्री/निर्णय आज के दिन Null & Void है। वादग्रस्त भूमि सहखातेदारी की भूमि है जिस पर प्रत्येक खातेदार का बराबर का हक है, इसलिए न्यायालय द्वारा जारी एकतरफा स्थगन आदेश निरस्त किया जावे।

प्रार्थीगण (मूल आवेदन) वकील ने अपनी बहस में अपने आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि मगा, रूपा, केसन, नगा पिता हुकमा चारो भाई थे। वादग्रस्त भूमि मौजा तारातरा के खसरा सं 1095 व 1096 का पर्चा लगान रूपा, केसन, नगा पिता हुकमा का 1/2 हिस्सा तथा मूला, निम्बा पिता मगा का 1/2 हिस्सा जारी हुआ जो गलत जारी हुआ, प्रत्येक का 1/4 1/4 हिस्सा का अंकन होना था तथा मौजा हुडासर के खसरा सं 1235 में हिस्सों का अंकन सही हुआ, भू प्रबन्धक विभाग की हिस्सों की त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियों का अनु[illegible] विप्रार्थीगण प्रार्थीगण को बेदखल करने की धमकियां [illegible] कर दिया। यदि ऐसा करने में सफल हो [illegible] होगी। इसलिए निवेदन है कि उक्त [illegible] श्रीमान के न्यायालय में विचाराधीन वा[illegible] अधिनियम का निस्तारण नहीं हो जाता तब तक न्यायालय द्वारा जारी स्थगन

लगातार.....

Signature Not Verified
Digitally signed by Suraj Bhan Vishnoi
Date: 2024.05.09 17:42:44 IST
Reason: SelfAttested

आदेश यथावत रखा जावे तथा विप्रार्थी सं. 5 व 6 का प्रतिवाद निरस्त किया जावे।

पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। पत्रावली पर सलंग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। विप्रार्थी सं. 5 व 6 के अधिवक्ता द्वारा पेश न्यायिक दृष्टान्तों का अवलोकन किया गया। जिसके आधार पर स्पष्ट होता है कि न्यायालय द्वारा मौजा तारातरा के खसरा सं. 1095, 1096 एवं मौजा हुडासर के खसरा सं. 1235 के संबंध में जारी एकतरफा अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से वादग्रस्त भूमि के संयुक्त खातेदार विप्रार्थी सं. 5 व 6 विभिन्न मूलभूत आवश्यकताओं एवं सरकारी योजनाओं के परिलाभ से वंचित हो रहे है, जैसा कि उनके अधिवक्ता ने बताया कि उनके नरेगा के तहत स्वीकृत टांका का निर्माण रूक गया है एवं अन्य सरकारी योजनाओं के लाभ से वंछित हो रहे है जो न्याय के दृष्टिकोण से उचित नहीं है, विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत जारी/स्वीकृत टांका, प्रधानमन्त्री आवास व अन्य आदि का निर्माण कार्य संयुक्त खातेदारों का प्रभावित नहीं होना चाहिए।

अतः न्यायालय के मतानुसार इस प्रकार की सरकारी योजनाओं के जारी टांका, आवास आदि के निर्माण की छूट स्थगन आदेश में दी जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः न्यायहित में न्यायालय द्वारा मौजा तारातरा के खसरा सं. 1095, 1096 एवं मौजा हुडासर के खसरा सं. 1235 के संबंध में जारी एकतरफा अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 05.08.2022 में उभयपक्षकारान को विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत जारी टांका आवास आदि के निमार्ण की छूट दी जाकर उभयपक्षकारान के विरूद्ध जारी मौके एवं रेकर्ड की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा में मौके की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा निरस्त की जाती है एवं उभयपक्षकारों में वादग्रस्त भूमि के हिस्सों को लेकर किसी प्रकार का विवाद न हो, इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए वादग्रस्त भूमि के संबंध में उभयपक्षकारान के विरूद्ध मूल वाद के निस्तारण तक रेकर्ड की यथास्थिति की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को तावाद कन्फर्म किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर सलंग्न मूल वाद हो । संख्या से कम हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Suraj Bhan Vishnoi
Date: 2024.05.09 17:42:44 IST
Reason: SelfAttested